न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/698

1. नाथूराम गुर्जर पुत्र श्री प्रभाताराम गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नानगवास, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मल्लूराम, **(आदेश दिनांक 07.10.2025 द्वारा)**
3. रामोतार गुर्जर पुत्र गोकुलचन्द, **(आदेश दिनांक 07.10.2025 द्वारा)**
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी नानगवास, पोस्ट रायपुर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 2946/2021 निर्णय दिनांक 18.12.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना बनाम गै0मु0 रास्ता कैम्प दरीबा में रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हजारी लाल शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री श्यामबाबू पारीक, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.12.2021 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 10.09.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू0अ0) नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दरीबा में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम नानगवास पटवार मण्डल दरीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 607 में रास्ता नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की ओर तक का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथूराम गुर्जर पुत्र श्री प्रभाताराम गुर्जर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 18.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांकित 18.12.2021 विरुद्ध पत्रावली व विरुद्ध तथ्य होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी का पुश्तैनी मकान ग्राम नानगवास में सन् 1963 में पूर्णतया बनकर तैयार हो गया था। अपीलार्थी उसी समय से अपने परिवारजनों के साथ उक्त मकानात में आवास निवास व जीवन यापन करता चला आ रहा है। अपीलार्थी व उसके परिवारजन के नाम से ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा सन् 2001 व 2017 में दो रजिस्टर्ड आवासीय पट्टे जारी किये गये है जो जिनके पट्टा संख्या–14 दिनांकित 19.12.2001 तथा पट्टा संख्या–75 दिनांक 05.07.2017 को जारी किया गया है। उक्त दोनों पट्टा विलेखों को कार्यालय उप–पंजीयक नीमकाथाना से क्रमशः दिनांक 04.03.2002 एवं 27.06.2018 को पंजीबद्ध भी करवाया गया है। अपीलार्थी के मकानात व अन्य आबादी बस्ती खसरा नम्बर 607 व आस पास के खसरा नम्बरान में बसी हुई है। अपीलार्थी के मकानात से सटकर काफी मकानात बने हुए है तथा मौके पर लगभग 15–20 फीट चौडा आम रास्ता काफी वर्षों से मौजूद चला आ रहा है जो कि सार्वजनिक रूप से आवागमन के प्रयुक्त होता आ रहा है। उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश में प्रस्तावित रास्ता अपीलार्थी व अन्य आबादी में बसे लोगों मकानात व भूमियों में से होकर जाने की वजह से उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। काफी वर्षों से आवागमन हेतु चालू सार्वजनिक रास्ते को अपीलार्थी द्वारा पेश अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शे में एसे बी मार्क से दर्शित किया गया है। उक्त मौके पर चालू रास्ता जो ग्रेवल सडक है। उक्त चालू रास्ता मार्क ए से बी नजरी नक्शे में मार्क सी से डी से दर्शित नारदा मोड से ग्राम नानगवास जाने वाली डामरीकृत सड़क में जाकर मिलता है। इस प्रकार से पूर्व से प्रचलित रास्ते की कोई जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर चुनौतीग्रस्त रास्ते के संबध में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

जैर अपील में जो गलत रूप से प्रचलित रास्ता बताते हुए आदेश पारित किया गया है वह नजरी नक्शे में मार्क ई से एफ से दर्शित किया गया है तथा वह मौके पर कभी भी चालू नहीं था तथा इस जैर अपील में तथाकथित प्रस्तावित रास्ता जिसे गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया गया है उक्त रास्ते पर काफी मकानात बने हुए है। उक्त रास्ते में अपीलार्थी व अपीलार्थी के परिवारजनों के मकानात, हीरालाल पुत्र मूंगाराम के मकान व चारदीवारी, हीरालाल के मकान के सामने अवस्थित हैंण्ड पम्प, फूलचंद गुर्जर पुत्र प्रभाताराम गुर्जर की चार दीवारी व गेट, फूलचंद की बोरिंग, व मकान के सामने का बिजली का पोल, रामनिवास पुत्र छाजूराम का बाड़ा तथा बाडे में नीम, बडबेर के पेड, कीकर के पेड, अपीलार्थी की भूमि में अवस्थित 40 वर्ष पुराने तीन नीम के पेड, एक शीशम का पेड, बीलपत्र का पेड, एक खेजडी का पेड, चारदीवारी, गेट आदि बने हुए है। यदि उक्त रास्ता मौके पर कायम किया जाता है तो उपरोक्त संपदाओं की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही होगी तथा मौके पर जो सार्वजनिक चालू रास्ता है उसका कोई उपयोग नहीं रह जाऐगा। प्रस्तावित राजस्व रिकार्ड में तथाकथित रास्ता दिखाया गया है वह अपीलार्थी के मकानात में आकर ही समाप्त हो जाता है। इससे भी स्पष्ट है कि मौके पर जाकर कोई रास्ते का प्रस्ताव मौका स्थिति के अनुसार नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित चुनौतीग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त रास्ता मौके पर गये बिना ही अपीलार्थी की सरपंच ग्राम पंचायत दरीबा से चुनावी रंजिश के कारण सरपंच ग्राम पंचायत दरीबा ने हल्का पटवारी से साज करके बंद कमरे में बैठ कर तथाकथित मौका जांच रिपोर्ट बनाया है इसके बारे में अपीलार्थी को कोई भनक तक नहीं पड़ने दी। पटवारी व राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलार्थी व ग्रामवासियों को कहा गया कि मौके पर चालू रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में प्रचलित रास्ता बताते हुए दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा प्रस्ताव में भी यही लिखा गया कि ग्राम नानगवास से ग्राम नानगवास जोहडी से कांकड के तिबारा की ओर जाने वाला रास्ता मौके पर मौजूद है परन्तु रास्ता कटान में नही है। इसलिये खसरा नम्बर 607 में से रास्ता कटान में काटने का प्रस्ताव लिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त नानगवास जोहडी से कांकड के तिबारा को जो रास्ता खसरा नम्बर 607 में से बताया गया है वह मौके पर काफी वर्षों से प्राचीन रूप से चालू है जो नजरी नक्शे में ई से एफ भाग से नहीं होकर नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी भाग से चालू है। ऐसी स्थिति में चुनौतीग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपील आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सुनवाई का नोटिस नहीं दिया तथा प्रशासन गांव के संग अभियान में उक्त आदेश आनन फानन में पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण चुनौतीग्रस्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त तथाकथित प्रस्तावित रास्ता कायम किये जाने का किसी भी प्रकार का आधार व औचित्य नहीं है। इस वजह से भी उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश एकतरफा व मनमाना आदेश है जो विधि के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के समर्थन में मौके के ताजा तरीन फोटोग्राफ्स भी अपील के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। आज से करीब 20 दिन पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत दरीबा ने अपीलार्थी को ऐलानियां धमकी दी कि तेरे मकान में से हमने रास्ता दर्ज करवा लिया है जल्द ही तेरे मकान को तुड़वाकर रास्ता कायम कर देगें और तुझे बेघर कर देगें। मौके पर पुराने चालू रास्ते के निशान मिटा देगें। जिस पर अपीलार्थी ने आदेश की नकल प्राप्त की तो उसे उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पूर्व उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अपीलार्थी पूर्व में जैर अपील आदेश में पक्षकार नहीं था परन्तु अपीलार्थी उक्त आदेश से सीधे तौर पर प्रभावित पक्षकार है। इसलिये अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 96 सीपीसी का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.12.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांकित 18.12.2021 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाया जाकर पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि राजस्व अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर चालू रास्ता का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्ताव तैयार कर विधिवत प्रक्रिया अपना कर मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में सही स्थान पर दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसंम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को आदेश की नकल दिनांक 19.08.2024 को प्राप्त होने पर उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश की जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पूर्व उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही रही है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत दरीबा, पंचायत समिति पाटन जिला सीकर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रेषित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.10.2021 में ग्राम नानगवास में नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की और आने–जाने वाला रास्ता को खसरा नम्बर 607 में से रास्ता काटा जाता है तो ग्राम पंचायत दरीबा को कोई आपत्ति नही होना बताया गया है। जिस पर दिनांक 17.10.2021 को भू0अ0नि0 टोडा के साथ तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना के दस्ती आदेश की पालना में पटवारी हल्का दरीबा द्वारा राजस्व ग्राम नानगवास में नानगवास जोहड़ से काकड़ का तिबारा की ओर जाने वाला रास्ता व्यक्तिगत नही है जिसका मौका देखा गया। उक्त रास्ता ग्राम नानगवास की भूमि ख.नं. 607 में पडता है। उक्त रास्ते की ख.नं. 607 से ख.नं. 607 तक चौड़ाई 6 मीटर तथा लम्बाई 290 मीटर है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इस रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नही है। उक्त रास्ते का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू.अ. नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार अंकन किये जाने हेतु फर्द मौका रिपोर्ट बाबत् रास्ता प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दरीबा में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु राजस्व ग्राम नानगवास पटवार मण्डल दरीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 607 में रास्ता नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की ओर तक का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड

अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर